के COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES — दो रुपये TWO RUPEES Rs.2 भारत INDIA

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तिथि Date on which Application is made for copy acc ompained by the requieite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तिथि Date of posting notice on notice board	नकल वापिस दिये जाने की तिथि Date of delivery + of copy	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
04-10-2013	11-10-2013	11-10-2013	11/10/13 RA

नकल संशोधित आदेश दिनांक 27-09-13 द्वारा न्यायालय जिलाधिकारी अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर मुकदमा नम्बर 151 अन्तर्गत धारा-143 [illegible] मौजा-पीतापुर परगना व तह० अकबरपुर दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीतापुर कोटही अकबरपुर द्वारा सचिव ~~[illegible]~~ मैनेजिंग ट्रस्टी राम प्रियदर्शी वर्मा बनाम सरकार। [illegible] निवासी अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर। [illegible] दिनांक 27-09-13 की [illegible] प्रमाणित प्रति [illegible] के हवाले हो

11/10/13 RA

अम्बेडकरनगर

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

संशोधित आदेश

दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठापुर कटेहरी अकबरपुर द्वारा अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा——————— ———बनाम——————————————————सरकार।

वाद संख्या– 151
अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अधिनियम
मौजा– पीथापुर।
परगना व तहसील अकबरपुर
जनपद–अम्बेडकरनगर।

निर्णय

दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठापुर कटेहरी अकबरपुर द्वारा अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा निवासी लखैचनपुर परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा संचालित मां शान्ति देवी एजूकेशनल ट्रस्ट लखैचनपुर परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर द्वारा अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी रामशिरोमणि वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा द्वारा ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के तहत हुए आदेश में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संशोधित आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है।

आदेश

अतः पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.05.2013 आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षण एवं प्रशिक्षण हटाया जाता है दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठापुर कटेहरी अकबरपुर द्वारा अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा तथा निर्णय के कालम में मां शान्ति देवी के स्थान पर मां शान्ति किया जाता है तथा लाइन 15 के निर्माणाधीन दयाराम के स्थान पर दयाराम वर्मा संशोधित किया जाता है। यह आदेश पूर्व पारित आदेश दिनांक 18.05.2013 का अंग होगा। बाद आवष्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

27.9.013

उप जिलाधिकारी,
अकबरपुर।

सत्य प्रतिलिपि
SDO/SDM (A)

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीठापुर कटेहरी अकबरपुर द्वारा अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा

——————————————— ———————बनाम ———————————सरकार।

वाद संख्या– 151
अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अधिनियम
मौजा–पीथापुर।
परगना व तहसील अकबरपुर
जनपद–अम्बेडकरनगर।

निर्णय

दयाराम वर्मा शिक्षण एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय पीथापुर कटेहरी अकबरपुर द्वारा अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा निवासी लखैचनपुर परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा संचालित द्वारा मां शान्ति देवी एजूकेशनल ट्रस्ट लखैचनपुर परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर द्वारा अध्यक्ष /मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा द्वारा ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रार्थी ग्राम पीठापुर परगना व तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या–353/1.176हे0 में से 0.253हे0 का सह संक्रमणीय भूमिधर है, उक्त भूखण्ड पर महाविद्यालय का भवन तथा विद्यालय परिसर का कार्य निर्माणाधीन है। सम्बन्धित आराजी का प्रयोग अकृषिक किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार अकबरपुर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम– पीठापुर परगना व तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या–353/1.176हे0 में से 0.253हे0 का उक्त आराजी प्रयोग बतौर अकृषिक किया जा रहा है। सम्बन्धित आराजी की चौहद्दी उत्तर खेत मुख्तार अहमद आदि दक्षिण सड़क प्रधानमंत्री कदनापुर पूरब निर्माणाधीन दयाराम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा पश्चिम खेत रामकृपाल सिंह, स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है, किन्तु यदि किसी सहखातेदार द्वारा आदेश के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो यह आदेश बिना किसी नोटिस के वापस लिया जायेगा।

आदेश

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्राम पीठापुर परगना व तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष–1418–1423 फसली के खाता संख्या–230 के गाटा संख्या–353/1.176हे0 में से 0.253हे0 को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

उप जिलाधिकारी,
अकबरपुर।
10.5.13